तारीख हुक्म	**हुक्म या** कार्यवाही **मय** इनिशियल्स **जज** श्रीमती नीता अग्रवाल **बनाम** पुष्पा देवी अपील संख्याः– जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00257	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
13.04.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई। पुनः रूक रूककर आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित है एवं अपीलार्थी या उनकी ओर से अन्य कोई और भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2018 से रेस्पोडेन्ट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है एवं अधिवक्ता अपीलान्ट को अंतिम अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट के तलबी नोटिस पेश नही किये गये है। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित है तथा अपीलार्थी की ओर से अन्य कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	